

विषय:

डी-5-21/16/2016/14-3

का विभाग

का विभाग

विषय :

याचिका क्रमांक 8285/16 द्वारा श्री ~~आर. द.~~  
~~कुमार~~ ~~वै. द. श्री~~ विरुद्ध शासन व अन्य के  
 संबंध में ।

—000—

पंजी क्रमांक 227/16 दिनांक 21/1/16  
 माननीय उच्च न्यायालय का पत्र दिनांक 29/1/16

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 8285/16 की सुनवाई तिथि दिनांक 28/1/16 नियत की गई है । प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है । प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, तदनुसार प्रकरण मुलतः मंडी बोर्ड को अंकित किया जाना उचित होगा ।

आदेशार्थ

अनुअधि०

DSK 'A' हेतु मंडी बोर्ड को 22/1/16  
 नया अंकित किया जाना  
 प्रस्तावित ।

24/6

DSK

29/1/16

M.D (Mandi Board)

अज्ञात पत्र

सं. प्र. 29/1/16 (वि. वि.)

29-7-16

(P-FO.)



२-

डी. 5/24/2016/14-3

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: ~~कृषि~~ 8285/15- श्री आनंद कुमार  
जैन चौधरी वि. शासन एवं कृ.म.  
प्रति हस्त ले.

का विभाग

आ. 05/15/वि. 15/5D(1)/250  
15-19-216

कृपया अवर सचिव म.प्र. शासन, कृषि विभाग द्वारा प्राप्त नोटशीट क्रमांक-यू.ओ. नं०-25/2016/14-3 दिनांक 29.01.2016 द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.-8285/2015 आनंद कुमार जैन चौधरी, स.उ.नि., दैनिक वेतन भोगी मण्डी समिति मुंगावली विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव चाहा गया है, जिसके लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/विधि/के-40 ग्वा/15/239 दिनांक 17.2.2016 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक/उपसंचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश प्रारूप नरती में संलग्न कर एकल नरती मूलतः प्रेषित है।

कृपया उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतु भी महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी कराये जाने का निवेदन किया जाना उचित होगा।

JK  
17-2-16.

संयुक्त संचालक,

अवर सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग..

मंजूर की है प्रस्तावानुसार स्वच्छ प्रति  
हस्ताक्षर प्रहृत

के.प्र.

DS/

DS/CA

प्राप्त अनुमोदनार्थ

24-26

सर डी. अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Nitin mistry/GOV notsheet

प्रमुख सचिव

कृ. अ.प्र.म.प्र.की

Shubh

Regd

DS/CA

DS/

Shubh

Shubh

24/2

3/1/16

JK  
24/2/16

जांचक क.

दिनांक

9-3-16

514/18

2-3-16

589/25

29/2/16

No. 39/PS/FWD  
Date 29/02/2016



डी-डी २५/१०/१५३

छब्बीस-२ सचिवालय

3.  
मं. ६/१५  
का विभाग

विषय :- खा. क्र. ८२८५/१५ - श्री आरंभ कुमारी  
जीपरी १६ हास  
है. हल :-

५/३/१६

समस्त प्राप्ति विपुल कर्तव्य  
जारी प्राप्ति आदेश हेतु प्रत्येक विधि माला  
को अंकित किया जाता प्रस्तावित है।

अ. अ.

५/३/१६

प्रतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती  
विधि विभाग को अंकित करण चाहेंगे।

५/३/१६

सर प्रतिक्षण हेतु प्रकरण  
विधि विभाग को अंकित करण  
चाहेंगे।

५/३/१६

प्रमुख सचिव

प्रतिक्षण आदेश हेतु नस्ती अंकित

प्रमुख सचिव (विधि)

५/३/१६

(डॉ. राजेश राजौरा)  
प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
भोपाल

५/३/१६

No. 391 PS/EWAD  
Date 5/3/16

५/३/१६

५/३/१६



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

का विभाग

(प्रमाणित) सचिव  
प्रमाणित  
सचिव  
सचिव

Date	
No	

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल.

क०/बोर्ड/विधि/के-40 ग्वा./डब्ल्यू.पी.-8285/15/239 भोपाल, दिनांक 17-2-16  
प्रति,

✓ प्रमुख सचिव,  
म०प्र० शासन,  
किसान कल्याण तथा  
कृषि विकास विभाग, भोपाल.

विषय:- प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी०- 8285/15 आनंद कुमार जैन चौधरी स.उ.नि.दै.वे.  
भोगी मण्डी मुंगावली जिला अशोकनगर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

-000-

उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक एक की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रतिवादी की ओर से प्रतिरक्षण हेतु भी महाधिवक्ता कार्यालय को विधि विभाग से निर्देश जारी करवाये जाने हेतु निवेदन किया जाना उचित होगा।

संलग्न:- प्रभारी अधिकारी प्रस्ताव  
आदेश प्रारूप

अपर संचालक  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल  
भोपाल, दिनांक

क०/बोर्ड/विधि/के-40 ग्वा./डब्ल्यू.पी.-8285/15/  
प्रतिलिपि:-

- (1) महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- (2) संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि प्रकरण में पक्ष समर्थन करने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क स्थापित कर तत्काल प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किया जाकर तीन प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाये।
- (3) संयुक्त संचालक(कार्मिक) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (4) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, मुंगावली जिला अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मण्डी समिति की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु पृथक से कार्यवाही की जाकर वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करावे।
- (5) आदेश नस्ती।

अपर संचालक  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल





ST-5/24/16/14-3

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at  
GWALIOR**

Process Id: 37894/2015

WP/8285/2015

FOR ADMISSION  
Fixed for 28-01-2016  
WP-DA-5  
Respondent No. 1  
RAD

From

Deputy Registrar,  
High Court of M.P.  
Bench at Gwalior

To,

The State Of Madhya Pradesh  
Thr. Principal Secretary  
Department of Agriculture  
Vallabh Bhawan Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 21-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/ 8285/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Anand Kumar Jain Chaudhary** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8285/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **28-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



ATTACHED AT Gwalior

Your faithfully

*[Signature]*  
22-12-15  
SECTION OFFICER  
Section Officer  
High Court Of Madhya Pradesh  
Bench Gwalior



**IN THE HIGH COURT OF MADHAYA PRADESH**  
**BENCH AT GWALIOR**

W.P. NO. 8285 /2015 (S)

**PETITIONER**

*Anand Kumar Jain Chaudhary*

**Versus**

**RESPONDENTS**

*The State of M.P. & others*

**LIST OF EVENTS**

DATES	PARTICULARS	ANNEXURES
	The petitioner is aggrieved by the order dt. 11-08-2011 passed by the respondent no. 2 whereby the claim of the petitioner for regularization of his services has been rejected on the ground that when the petitioner was engage as Daily Rated Employee, he was of 34 years but as per the rules the age limit was 30 years. This fact of the respondents is totally wrong as the date of birth of the petitioner is 03-06-1952 and he was working in the respondent department since 1977. Thus from the aforesaid facts it is clear that in the year 1977 the petitioner was only 25 years old and therefore rejection of the claim of the petitioner for his regularization is without application of mind and the impugned order dt. 11-08-2011 is liable to be quashed.	P/1
	That, the petitioner was engage as Daily Rated Employee in the respondent Krishi Upaj Mandi Samiti in the year 1977.	P/2
	That, earlier the services of petitioner were terminated by the respondents in the year 1990 thereafter he was reinstated in service in 2000 after the orders of the Ld. Labor Court.	P/3 & P/4
	That, when the services of the petitioner were not regularized by the respondents than he approach	P/5



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक- डी-5/१५/१०१६/१५३ आदेश//

भोपाल दिनांक २-३-१६

सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का अधिनियम संख्याक-५) आदेश सत्ताईस के नियम- २ के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू०पी०-८२८५/२०१५ आनंद कुमार जैन चौधरी स.उ.नि.दै.वे.भोगी मण्डी मुगावली जिला अशोकनगर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

१. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
२. समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
३. वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
४. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
५. शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
६. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
७. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-  
(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।  
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।  
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।  
(घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
८. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
९. जब भी कोई आदेश/निर्देश विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना।



10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।
11. यह देखना है कि आवेदन करने में ताकि प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
13. अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।
14. प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशांसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
विभाग, मंत्रालय भोपाल

कमांक- 51-5184/2016/14-3  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 2-3-16

1. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, MOPRO राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. संबंधित जिलाध्यक्ष, अशोकनगर मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को भी आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख 28/1/16 हेतु नियत की गई है।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
विभाग, मंत्रालय भोपाल